

**AUTHORITY FOR ADVANCE RULING  
GOODS AND SERVICE TAX  
UTTAR PRADESH  
4, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-**

**ADVANCE RULING NO. UP ADRG - 25/2023 Dated. 08.05.2023**

**PRESENT:**

- 1. Shri Rajendra Kumar**  
Additional Commissioner, Central Goods and Service Tax  
Audit Commissionerate, Lucknow .....Member (Central Tax)
- 2. Shri Harilal Prajapati**  
Joint Commissioner, State Goods and Service Tax .....Member (State Tax)

1.	Name of the Applicant	M/S Saharanpur Smart City Limited, Administrative Building, 0, First, Nagar Nigam Saharanpur Campus, Gurudwara Road, Saharanpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, 247001
2.	GSTIN or User ID	09AAZCS9204J1ZI
3.	Date of filing of Form GST ARA-01	06.04.2023
4.	Represented by	Shri Amerender Gautam, Executive Engineer, Saharanpur Smart City Limited
5.	Jurisdictional Authority-Centre	Range-Sarsawa, Division- Saharanpur, Commissionerate- Meerut
6.	Jurisdictional Authority-State	Sector- Saharanpur Sector-10, Range- Saharanpur (B), Zone- Saharanpur
7.	Whether the payment of fees discharged and if yes, the CIN	SBIN23040900000504

**ORDER UNDER SECTION 98(4) OF THE CGST ACT, 2017 & UNDER SECTION 98 (4) OF THE UPGST ACT, 2017**

1. M/S Saharanpur Smart City Limited, Administrative Building, 0, First, Nagar Nigam Saharanpur Campus, Gurudwara Road, Saharanpur, Uttar Pradesh, 247001 (here in after referred to as the applicant) is a registered assessee under GST having GSTN: 09AAZCS9204J1ZI.
2. The applicant has submitted an application for Advance Ruling dated 06.04.2023 enclosing dully filled Form ARA-01 (the application form for Advance Ruling) along with annexure and attachments. The applicant in his application has sought advance ruling on following question-
  1. क्या स्मार्ट सिटी परियोजना में विद्युत लाईन की शिफ्टिंग के कार्य का निष्पादन स्मार्ट सिटी मद से किये जाने में परीवेक्षण का कार्य पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना सी०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 15(2)(b) के अन्तर्गत आता है?
  2. क्या स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्मार्ट रोड के कार्य के निष्पादन हेतु विद्युत लाईन शिफ्टिंग के परीवेक्षण का कार्य के साथ सम्पूर्ण कार्य पर उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त जी०एस०टी० (डबल जी०एस०टी०) देय होगा?
3. क्या यदि स्मार्ट रोड के निष्पादन हेतु विद्युत लाईन की शिफ्टिंग का कार्य स्मार्ट सिटी अपने ठेकेदारों से जी०एस०टी० का भुगतान करते हुए कार्य कराया जाता है तो उस पर भी अतिरिक्त जी०एस०टी० का



भुगतान उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को किया जाना जो एक ही कार्य पर दो बार जी०एस०टी० का भुगतान दो अलग-अलग संस्थाओं को किया जाना दोहरी कर प्रणाली के दायरे में नहीं आता है? जो कि जी०एस०टी० की मूल अवधारणा के विपरीत होगा।

4. क्या उपरोक्त कार्य में उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त जी०एस०टी० की मांग जबकि प्रतिफल शून्य है अर्थात् कार्य का मूल प्रतिफल का भुगतान सहारनपुर स्मार्ट सिटी द्वारा कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट किया जाना है, अतः इस दशा में प्रतिफल की परिभाषा के प्रतिकूल न होगा?

3. As per declaration given by the applicant in Form ARA-01, the issue raised by the applicant is neither pending nor decided in any proceedings under any of the provisions of the Act, against the applicant.

The applicant has submitted that-

स्मार्ट सिटी परियोजना माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। इस क्रम में सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना 'स्मार्ट रोड' के कार्यों में एच०टी० लाईन तथा एल०टी० लाईन को शिफ्ट करने हेतु तथा उसके स्थान पर अन्डरग्राउंड केबलिंग एवं इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रावधान है जिसका उद्देश्य न सिर्फ विद्युत क्षति को रोकना है बल्कि ओवरहेड इलैक्ट्रिक लाईन से जनजीवन को सुरक्षित रखना भी है।

सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड योजनान्तर्गत परियोजना स्मार्ट रोड के कार्यों में यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों को बाह्य संस्था द्वारा कराये जाने की स्थिति में परीवेक्षण शुल्क के साथ-साथ प्राक्कलित राशि पर भारित पूर्ण जी०एस०टी० की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में-

इस सम्बन्ध में सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत ए०वी०डी० एरिया में रोडों पर स्मार्ट रोड का कार्य प्रस्तावित है जिसमें सिटी में विद्युत एच०टी० लाईन तथा एल०टी० लाईन शिफ्टिंग का कार्य स्मार्ट रोड परियोजना के मद से स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाना है इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उपरोक्त लाईनों की शिफ्टिंग में सुपरविजन का कार्य दिया गया है।

उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अपने पत्रांक संख्या 7143/ वि०वि०ख०प्र०/ स०पुर / स्मार्ट सिटी/साईन शिफ्टिंग दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उपरोक्त विद्युत लाईन शिफ्टिंग के सुपरविजन कार्य हेतु आगणन उपलब्ध कराया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sr. No.	Name of Smart Road	TC No. and Date	Supervision Charges	GST Amount	Total Amount
1	Railway Road & Court Road- 1	556/08.02.2022	4906236.00	20311816.00	25218052.00
2	Old Municipal Road	861/05.03.2022	175511.00	726616.00	902127.00
3	Gurudwara Road	862/05.03.2022	204919.00	848364.00	1053283.00
4	Lakkad Market Road	1164/30.03.2022	705890.00	2922383.00	3628273.00
<b>Total</b>			<b>5992556.00</b>	<b>24809179.00</b>	<b>30801735.00</b>

उपरोक्त विवरण में उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्मार्ट रोड परियोजना में विद्युत लाईन शिफ्टिंग के सुपरविजन हेतु 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज अंकन धनराशि रुपये 59,92,556/- के साथ कुल कार्य पर होने वाले व्यय पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० अंकन धनराशि रुपये 2,48,09,170/- की मांग की गयी है जबकि उपरोक्त कार्यों का निष्पादन स्मार्ट सिटी मद से सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाना



है जिसका व्यय सहारनपुर स्मार्ट सिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अण्डरग्राउण्ड विद्युत लाईन विद्युत के परीवेक्षण कार्य में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कर निर्धारण लागत रुपये 59,92,556/- है जिस पर 18 प्रतिशत जी०एस०टी० 10,78,660/- नियमानुसार देय है जिसका कुल बीजक धनराशि रुपये 70,71,216/- होगा परन्तु पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण विद्युत लाईन शिफ्टिंग के कार्य की लागत (जो कि स्मार्ट सिटी के मद से अन्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निष्पादित किया जाना है) पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त जी०एस०टी० की मांग की जा रही है जिसमें कर निर्धारण राशि शून्य है जो जी०एस०टी० की मूल अवधारणा के विपरीत है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्रांक संख्या 3230/ प०वि०वि०नि०लि० / जी०एस०टी०/2020-21 दिनांक 03.11.2020 में डिपॉजिट आधार पर कराये जा रहे कार्यों पर जी०एस०टी० सम्बन्धी दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें डिस्कॉम द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग / जमा योजना कार्य (डिपोजिट कार्य) बाह्य संस्था द्वारा कराये जाने की स्थिति में परीवेक्षण शुल्क (सुपरविजन चार्ज) के साथ प्रकलित राशि पर भारित पूर्ण जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार विभाग द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम को करना होगा।

उक्त पत्र में यह भी वर्णित है कि 'जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा 15 के अनुसार Taxable Value का निर्धारण किया जाता है जिसकी उपधारा 2(b) के अनुसार The value of supply shall include any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both" अर्थात् ऐसी राशि जिसका भुगतान सेवा प्रदाता (UPPCL/Discom) द्वारा किया जाना था किन्तु किसी कारणवश भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता (इस प्रकरण में NHAI) द्वारा किया जाता है ऐसी राशि को भी Taxable Value में शामिल किया जायेगा एवं उस पर जी०एस०टी० देय होगा। अतः जमा कार्यों में जो भी राशि UPPCL/Discom द्वारा कार्यदायी संस्था को देय थी बाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा स्वयं कार्य कराये जाने की स्थिति में कथित संस्था / विभाग / निगम द्वारा देय होगी एवं उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार वह राशि भी जी०एस०टी० के दायरे में आयेगी तदनुसार पूर्ण प्रकलन की राशि पर जी०एस०टी० देय होगा।"

उपरोक्त प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्नों पर एडवांस रूलिंग की मांग की गई है-

1. क्या स्मार्ट सिटी कार्यों पर विद्युत लाईन की शिफ्टिंग के कार्य का व्यय स्मार्ट सिटी मद से जिसका परीवेक्षण का कार्य पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना सी०जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 15(2) (b) के अन्तर्गत आता है?

2. क्या स्मार्ट सिटी के स्मार्ट रोड के कार्यों के निष्पादन हेतु विद्युत लाईन शिफ्टिंग करने के लिये उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अतिरिक्त जी०एस०टी० देय होगा?

3. क्या यदि स्मार्ट रोड के निष्पादन हेतु विद्युत लाईन की शिफ्टिंग का कार्य स्मार्ट सिटी अपने ठेकेदारों से जी०एस०टी० का भुगतान करते हुए कार्य कराया जाता है तो उस पर भी अतिरिक्त जी०एस०टी० का भुगतान उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को किया जाना जो एक ही कार्य पर दो बार जी०एस०टी० का भुगतान दो अलग-अलग संस्थाओं



4. क्या उपरोक्त कार्य में उ0प्र0 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त जी०एस०टी० की मांग जबकि कार्य का मूल प्रतिफल का भुगतान स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर को किया जाना है, प्रतिफल की परिभाषा के प्रतिकूल न होगा?

4. The applicant has submitted their interpretation of law as under-

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा एडवांस रूलिंग के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें माननीय एडवांस रूलिंग प्राधिकरण द्वारा अपने एडवांस रूलिंग संख्या UP ADRG-17/2022 दिनांक 08.12. 2022 में आध्यादेश पारित किया जिसमें माननीय एडवांस रूलिंग प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रश्नों पर माल एवं सेवा कर अधिनियम में वर्णित धाराओं की विवेचना की है जिसकी छायाप्रति संलग्न की गयी है तथा उक्त एडवांस रूलिंग अध्यादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक संख्या 189/का0 टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2023 दिनांक 21.03.2023 जिसमें प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को लिखे पत्र में डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के केवल परीवेक्षण शुल्क पर जी०एस०टी० लगाया जाना चाहिये, का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में जी०एस०टी० के उपर्युक्त धाराओं की विवेचना में तथा माननीय एडवांस रूलिंग प्राधिकरण द्वारा अपने एडवांस रूलिंग संख्या UP ADRG-17/2022 दिनांक 08.12.2022 में पारित आध्यादेश के अनुक्रम में डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के केवल परीवेक्षण शुल्क पर जी०एस०टी० लगाया जाना चाहिये, की एडवांस रूलिंग सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पक्ष में देने की कृपा करें जिससे कि जटिल दोहरे कर प्रणाली को जी०एस०टी० व्यवस्था से समाप्त किया जा सके।

5. As per declaration given by the applicant in Form ARA-01, the issue raised by the applicant is neither pending nor decided in any proceedings under any of the provisions of the Act, against the applicant.

6. The application for advance ruling was forwarded to Deputy Commissioner, Central Tax & Central Excise, Division-Saharanpur vide letter dated 19.04.2023 to offer their comments/views/verification report on the matter. Through letter no 04 dated 18.04.2023 proper officer Deputy Commissioner, UPGST, sector-10 Saharanpur has provided his comments.

7. The applicant was granted a personal hearing on 27.04.2023 which was attended by Shri Amerender Gautam, Executive Engineer, the authorized representative of the applicant during which he reiterated the submissions made in the application of advance ruling.

### **DISCUSSION AND FINDING**

8. At the outset, we would like to make it clear that the provisions of both the CGST Act and the UPGST Act are the same except for certain provisions. Therefore, unless a mention is specifically made to such dissimilar provisions, a reference to the CGST Act would also mean a reference to the same provision under the UPGST Act. Further for the purposes of this Advance Ruling, a reference to such a similar provision under the CGST Act / UPGST Act would be mentioned as being under the 'CGST Act'.

9 We have gone through the Form GST ARA-01 filed by the applicant and observed that the applicant has ticked following issues on which advance ruling required-

- (1) classification of any goods or services or both;
- (2) applicability of a notification issued under the provisions of this Act;
- (3) determination of time and value of supply of goods or services or both;
- (4) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;
- (5) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both;
- (6) whether applicant is required to be registered;



(7) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both, within the meaning of that term.

We would like to examine whether the issue raised in the application is squarely covered under Section 97(2) of the CGST Act 2017 or not. For this we would like to examine this matter in light of definitions of Advance Ruling under section 95 of the CGST Act 2017 and the same is reproduced as under:

*Section 95. Definitions of Advance Ruling.— In this Chapter, unless the context otherwise requires,—*

*(a) —advance ruling means a decision provided by the Authority or the Appellate Authority to an applicant on matters or on questions specified in sub-section (2) of section 97 or sub-section (1) of section 100, in relation to the supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant;*

*(b) —Appellate Authority means the Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 99;*

*(c) —applicant means any person registered or desirous of obtaining registration under this Act;*

The meaning of the applicant defined in sub-section (c) of section 95 should be derived only in consonance with sub-section (a) of Section 95 of the CGST Act 2017.


We find that Applicant M/S Saharanpur Smart City Limited is receiver of the Goods/Services provided by the Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited. In light of sub-section (a) of Section 95 of CGST Act 2017, only supplier of the services can file Application for Advance Ruling. Accordingly, we do not admit the application for consideration/ruling on merits as applicant does not fall under the definition of Advance Ruling.


10. Accordingly, we pass the ruling as under:

**RULING**

No ruling can be given in the matter as discussed above.

11. This ruling is valid only within the jurisdiction of Authority for Advance Ruling Uttar Pradesh and subject to the provisions under Section 103(2) of the CGST Act, 2017 until and unless declared void under Section 104(1) of the Act.

  
(Harilal Prajapati)  
Member of Authority for Advance  
Ruling

  
(Rajendra Kumar)  
Member of Authority for Advance  
Ruling

To,

M/S Saharanpur Smart City Limited,  
Administrative Building, 0, First,  
Nagar Nigam Saharanpur Campus, Gurudwara Road,  
Saharanpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, 247001

**AUTHORITY FOR ADVANCE RULING –UTTAR PRADESH**

Copy to –

1. The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Lucknow, Member, Appellate Authority of Advance Ruling.
2. The Commissioner, Commercial Tax, Uttar Pradesh, Member, Appellate Authority of Advance Ruling.
3. The Principal Commissioner, CGST & C. Ex, Meerut opp. C. C. S. University, Mangal Pandey Nagar, Meerut-250004.
4. The Deputy Commissioner, Lucknow Division- Saharanpur, CGST & Central Excise, Avas Vikas Colony, Delhi Road, Saharanpur -247001
5. Through the Additional Commissioner ~~Gst-1, Saharanpur Zone, Saharanpur~~, Uttar Pradesh to jurisdictional tax assessing officers.

**Note:** An Appeal against this advance ruling order lies before the Uttar Pradesh Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Service Tax, 4, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226010, within 30 days from the date of service of this order.